334
22.01.2026

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–185 दिनांक 14.01.2026 द्वारा अस्थायी रूप से सृजित वन एवं पर्यावरण सलाहकार (वेतन स्तर–14/13) के गैर संवर्गीय पद हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारी की संविदा आधारित नियोजन निमित्त आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

क्र०सं०	पदनाम	पद का स्वरूप	रिक्ति की संख्या	योग्यता एवं अनुभव
1	वन एवं पर्यावरण सलाहकार	अस्थायी एवं गैर संवर्गीय	1	**क)** भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा से वेतन स्तर 14/13 के समतुल्य पद से सेवानिवृत्त। **ख)** केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 15 वर्षों का कार्यानुभव।

आवेदन विहित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में दिनांक 10.02.2026 अपराह्न 03.00 बजे तक अवर सचिव (प्रबंधन) कोषांग, जल संसाधन विभाग, प्रथम तल, सिंचाई भवन, सचिवालय, पटना–800015 में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट या ई–मेल (undersecretary1.wrd@gmail.com) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि आवेदक को ई–मेल के माध्यम से दी जायेगी।

संविदा नियोजन हेतु शर्त्ते :–

1) चयन हेतु आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। नियोजन का विस्तार नियोजित पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा के उपरांत एक–एक वर्ष हेतु किया जा सकता है।

2) कार्यो की समीक्षा के आधार पर कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के उपरांत नियोजित पदाधिकारी का संविदा नियोजन एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।

3) संविदा के आधार पर नियोजन विभाग में अस्थायी रूप से सृजित पद के विरूद्ध किया जायेगा। उक्त पद की समाप्ति के साथ संविदा स्वतः समाप्त कर दिया जायेगा।

4) नियोजन हेतु चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित करना आवश्यक होगा।

5) सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंशन एवं उस पर सेवानिवृत्ति की तिथि को देय मंहगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

6) सेवानिवृति और संविदा नियोजन के मध्य वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

7) नयी पेंशन योजना से सेवानिवृत सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे बैण्ड / लेवल का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि के योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन + महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

8) नियोजित व्यक्ति के पदीय दायित्वों के दृष्टिपथ परिवहन एवं टेलीफोन की सुविधाएँ अनुमान्य की जाएँगी।

9) उक्त प्रक्रिया के अधीन वैसे सरकारी सेवक नियोजन हेतु योग्य नहीं माने जायेगें, जिनपर:–

(क) कोई निगरानी का मामला प्रक्रियाधीन हो।

(ख) कोई विभागीय कार्यवाही लंबित है।

(ग) कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला विचाराधीन हो।

(घ) चयन समिति की दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत न हो।

(ड़) उपर्युक्त (क) से (ग) के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

10) आवेदन पत्र के साथ पी०पी०ओ० (यदि निर्गत हो), अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित (छाया प्रति) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11) व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर उक्त पद हेतु चयन किया जायेगा। साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

12) संविदा नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएगें, परन्तु उन्हें नियमानुसार आकस्मिक अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश देय होगा। नियोजन के पश्चात् चयनित व्यक्ति का सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

13) उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14) नियोजित व्यक्ति विभाग के साथ एकरारनामा सम्पन्न करेंगें तथा नियोजन की अवधि समाप्ति के पूर्व संविदा सेवा अवधि का विस्तार नहीं होता है, तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

22/01/26

उत्कर्ष शर्मा

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–06 / प्र०–07 (विविध)–01 / 2026– 334 पटना / दिनांक– 22.01.2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 10.02.2026 तक लगातार प्रसारित करने हेतु विहित प्रपत्र के साथ प्रेषित।

अनु०– यथोक्त।

22/01/26

अवर सचिव (प्रबंधन)

जल संसाधन विभागान्तर्गत अस्थायी रूप से सृजित वन एवं पर्यावरण सलाहकार (वेतन स्तर–14/13) के गैर संवर्गीय पद पर संविदा नियोजन हेतु आवेदन–प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :– वन एवं पर्यावरण सलाहकार

उम्मीदवार का स्व–अभिप्रमाणित रंगीन छायाचित्र

2. आवेदक का नाम

हिन्दी में :–

अंग्रेजी में :–

3. आवेदक के पिता/पति का नाम :–

4. अभ्यर्थी की जन्म तिथि :–

5. सेवा निवृत्ति की तिथि :–

6. आरक्षण कोटि :–

7. विभाग एवं कार्यालय का नाम एवं पता :–
(जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत हुए है)

8. विभाग एवं कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि :–

9. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक :–
वाद/निगरानी वाद/विभागीय
कार्यवाही लंबित है या नहीं
(पूर्ण विवरण सहित)

10. अभ्यर्थी की विगत पाँच वर्षो :–
की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण

11. स्थायी पता :–

12. पत्राचार का पताः–

13. शैक्षणिक योग्यता:–
(सभी प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

14. सेवा वृतांत :–

15. सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे–बैंड/पे लेवल/महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाली राशि (अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे):–

16. वर्त्तमान में पेंशन की राशि (पी०पी०ओ० की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे):–

17. मोबाईल संख्या:–

18. ई मेल:–

घोषणा– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :– **आवेदक का हस्ताक्षर**
दिनांक :–